कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 01.10.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–07 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. जितेन्द्रनाथ पाण्डेय पुत्र सन्तराम पाण्डे ग्राम बनपुरवा मौजा भैरमपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–198/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. जगरनाथ पुत्र भगौती नि0 मुरलीपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–289/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. फैयाज पुत्र इबरार उर्फ खुन्नुन नि0 लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–247/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.10.2021

महिला व उसकी दो पुत्रियों की हत्या की घटना का मात्र 03 घण्टे में खुलासा, पति ही निकला पत्नी व पुत्रियों का हत्यारा, आपसी अनबन के चलते घटना को दिया था अंजामः–

आज दिनांक 01.1

0.2021 को थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम देवरिया कला में एक महिला व उसकी 02 पुत्रियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने तत्काल फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, एस0ओ0जी0/सर्विलांस टीम को मौके पर भेजा था तथा स्वंय भी पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र डॉ0 राकेश सिंह व अन्य उच्चाधिकारियों के साथ मौके पर पहुॅचकर घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए घटना के शीघ्र अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक खरगूपुर, एस0ओ0जी0/सर्विलांस टीम को निर्देशित किया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम थाना खरगूपुर पुलिस ने मात्र 03 घण्टे में घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले आरोपी पति/अभियुक्त ओमप्रकाश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच व पूछताछ से ज्ञात हुआ कि मृतका व उसके पति के बीच काफी दिनों से आपसी अनबन चल रही थी कल दिनांक 30.09.2021 को भी पति–पत्नी के बीच विवाद हुआ था। मृतका के पति से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मुझे अपनी पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति से बात करने का शक था। जिसके चलते कल दिनांक 30.09.2021 को हम दोनो का झगड़ा हुआ था। उसी बात को लेकर मैने रात्रि में ही अपनी पत्नी व 02 पुत्रियों की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतका के पिता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. ओम प्रकाश पुत्र रामशरण तिवारी नि0 देवरियाकला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–250/21, धारा 498ए, 302 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
प्र0नि0 अशोक कुमार मय टीम।